न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 31/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रविन्द्र कुमारी पुत्री अमरनाथ पत्नि अमरजीत गिरधर अरोडा निवासी हाल मकान न. 4664, गली न. 3, अबोहर रोड मुक्तसर पंजाब।		1.महेन्द्रपाल पुत्र अमरनाथ अरोडा निवासी 23 बी ब्लॉक श्रीकरणपुर 2.निशान सिंह पुत्र मेजर सिंह जटसिख निवासी 28 एफ एफ तहसील रायसिंहनगर 3.जगदीप सिंह सिंह पुत्र जीवन सिंह निवासी 36 बीबी तहसील पदमपुर 4.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 11.06.2019

उपस्थितः 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्रीगुरदेव सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

--निर्णय-- दिनांकः 18/11/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 93/74 के मु.न. 45 की कुल 5.553 हैक्टर नहरी भूमि में से 2.776 हैक्टर भूमि में से प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर की खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 5, 6, 11 की भूमि जो ईंट भट्टा के लिए रूपान्तरित थी, में से किला न. 5 व 6 की कुल 0.506 हैक्टर भूमि का रूपान्तरण ईंट-भट्टा से हटा कर पुनः खातेदारी कृषि भूमि के रूप में दर्ज करवायी गई, जिसका अमलदरामद जमाबन्दी खतौनी संख्या 100/84 सम्वत 2072 ता 75 में जरिए नामान्तरण संख्या 920 मुझ प्रार्थीया के पिता स्व. अमरनाथ तथा प्रार्थीया के चाचा राजेन्द्र कुमार पिसरान हंसराज के नाम से बतौर खातेदार दर्ज हो गया। चूकिं प्रार्थिया के पिता का देहान्त हो चुका है, जिसमें वैध वारिसान प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ही है। अन्य कोई वारिस नहीं है, इसलिये प्रार्थिया के पिता स्व. अमरनाथ के नाम इस खाता के मु.न. 45 में दर्ज उक्त 1 बीघा भूमि विरास्तन प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई। इस प्रकार से मुरब्बा नम्बर 45 में दोनों खातो में प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कुल 3.029 हैक्टर भूमि दर्ज हुई। उपर्युक्त कृषि भूमि में से खाता संख्या 93/74 की प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.776 हैक्टर में से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा की समस्त कृषि भूमि 1.388 हैक्टर नहरी का बेचान संजय कुमार पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.09.2015 को कर दिया, जिसका नामान्तरण भी उक्त संजय कुमार के नाम जरिए नामातरण संख्या 921 राजस्व अभिलेख दर्ज हो चुका है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 93/74 सम्वत 2068 ता 71 में कोई भूमि शेष नहीं रही। इसके नाम केवल खाता संख्या 100/84 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 5 व 6 की कुल 0.506 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात 0.126 हैक्टर नहरी भूमि की शेष रही।

Signatu
Digitally s
Date: 202
Reason: S

प्रार्थिया के नाम खाता संख्या 93/74 में 1.388 हैक्टर तथा खाता संख्या 100/84 में 0.127 हैक्टर अर्थात दोनों खातों में कुल 1.515 हैक्टर नहरी भूमि खातेदारी भूमि शेष रही। उक्त खातों में से खाता संख्या 93/74 की भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि थी और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना बेचान कर दिया, इसलिए सह-खातेदारों के मध्य विभाजन एवं कब्जा बाबत विवाद उत्पन्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप इस कृषि भूमि को लेकर पक्षकारो ने अलग-अलग 5 वाद माननीय न्यायालय में यथा वाद संख्या 30/2013, 32/2013, 90/2013, 68/2015 पेश किए उक्त वादो के विचारण के दौरान समस्त पक्षकारों के मध्य विभाजन के लिए सहमति हुई, उक्त समस्त दावों का जरिए सहमति बंटवारानामा के डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किया गया। इस विभाजन डिक्री के बिन्दू संख्या 1 में प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 को जो कि एक ही हक के अधीन (स्व. अमरनाथ के वारिस होने के आधार पर) कृषि भूमि के दावेदार थे, इसलिए उन्हें एक ही पक्ष धारित करते हुए बतौर प्रथम पक्ष सहमति बंटवारा व तदनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई, जिन्हें कुल 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि (मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 20 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम व किला न. 16 के 10 बिस्वा दक्षिणी) प्राप्त होनी दर्शायी गई। यद्यपि इन्हे मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 11 जो कि राजस्व अभिलेख में बतौर ईंट-भट्टा के रूप में दर्ज है, का भी विभाजन पक्षकारों द्वारा किया गया जिसमें 10 बिस्वा प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जाना दर्शाया गया, जबकि शेष 10 बिस्वा पक्षकार संख्या 2 स्व. राजेन्द्र कुमार के वारिसान को दिया जाना दर्शाया गया, परन्तु राजस्व अभिलेख में ईंट-भट्टा के रूप में दर्ज होने के कारण इसे विभाजन डिक्री में अलग से दिखाया गया। विभाजन डिक्री के बिन्दू संख्या 1 में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को विभाजन में दी गई कुल 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि में से 6 बीघा भूमि प्रार्थिया की एवं केवल 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की थी, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा की 6 बीघा भूमि में से 5 बीघा 10 बिस्वा का बेचान संजय कुमार पुत्र अमर सिंह को बेचान कर दी गई थी। परन्तु चूंकि उन्हें एक ही पक्ष के रूप में दर्शित किया गया था, इसलिए उन दोनों को प्राप्त हुई भूमि अलग-अलग हिस्सों में ना दर्शा कर इसे कुल भूमि 6 बीघा 10 बिस्वा दिया जाना बिन्दू संख्या 1 में अंकित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसार किलवाईज विभाजन का अमल-दरामद जरिए नामान्तरण संख्या 955 कर दिया गया। लेकिन इस नामान्तरण में भी प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 को संयुक्त ही 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज कर दिया गया, चूंकि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य परस्पर किलावाईज विभाजन नहीं हुआ था। इस नामान्तरण का जब जमान्दी के खातेदारी कॉलम संख्या 4 में अलमदरामद किया गया तो ऐसा करते समय हल्का पटवारी द्वारा त्रूटि पूर्ण रूप से प्रार्थिया एंव अप्रार्थी संख्या 1 को उन्हें विभाजन में आए किलाजात 6 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थिया को 6 बीघा नहरी तथा अप्रार्थी संख्या 1 को 10 बिस्वा को खातेदार अंकित करने के स्थान पर उन्हें कुल 6 बीघा 10 बिस्वा में बहिस्सा बराबर का खातेदार होना अंकित कर दिया। इसके अलावा प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को विभाजन डिक्री में मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 16 के 10 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा दिया गया, जबकि इस किला का शेष 10 बिस्वा उतरी संजय पुत्र अमर सिंह को दिया गया था, लेकिन नई जमाबन्दी में हल्का पटवारी ने अत्यन्त लापरवाही एंव मनमाने तरीक से किला न. 16 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 128/111 सम्वत 2075 ता 78 में दर्ज कर दिया तथा संजय कुमार पुत्र अमर सिंह के खाता में यह 10 बिस्वा अवैध रूप से कम कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे खाते गलत हो गये, खाता संख्या 128/111 का योग 6 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 6 बीघा 19 बिस्वा हो गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम त्रुटि पूर्ण रूप से 2 बीघा 19-1/2 अधिक दर्ज कर दी गई और प्रार्थिया की कुल भूमि में से 2 बीघा 10-1/2 बिस्वा कम दर्ज कर दी। प्रार्थिया एक शादीशुदा महिला है, जो अपने ससुराल मुक्तसर पंजाब में रहती है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या

Signa
Digitally
Date: 2
Reason
उपखण्ड अ
श्रीकरणपर (श्री

रविन्द्र कुमारी बनाम महेन्द्रपाल आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 31/2019

जो प्रार्थिया का सगा भाई है, के माध्यम से काश्त करवाती रही है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 को जब उक्त नामान्तरण का ज्ञान हुआ तो उसने बेईमानी पूर्वक प्रार्थिया को सदोष हानि कारित करने के आशय से स्वयं के नाम त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज हुई प्रार्थिया के हिस्सा की भूमि 2 बीघा 15 बिस्वा सहित अपने हिस्सा व संजय कुमार पुत्र अमर सिंह के खाता से कम की गई भूमि के 5 बिस्वा को शामिल करते हुए कुल 3 बीघा साढे नौ बिस्वा भूमि का अवैध रूप से अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में जरिए पंजीकृत बैयनामा कर दिया, जबकि वह केवल 10 बिस्वा भूमि का खातेदार एंव हकदार था। तथाकथित बैयनामा दिनांक 30.05.2019 एक आरम्भतः शून्य दस्तावेज है जो प्रार्थिया के हितों पर निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 शून्य दस्तावेज के आधार उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाने व प्रार्थिया की कृषि भूमि पर जबरन काबिज होने का प्रयास करते है तो इससे प्रार्थिया के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगे तथा प्रार्थिया को अपनी पैतृक सम्पति से वंचित होना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे ताफैसला दावा प्रश्नगत कृषि भूमि का हस्तांतरण किसी भी प्रकार से तीसरे पक्ष को करने से बाज व ममनू रहे व प्रार्थिया के प्रश्नगत कृषि भूमि के शांति पूर्ण कब्जा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने उसके उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने में निषेधित व अवरूद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार संजय कुमार को 1.388 हैक्टर भूमि प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आधी-आधी बेचान की गई है। मुझ अकेले अप्रार्थी द्वारा बेचान करना गलत लिखा गया है। शेष 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी की आधी-आधी है। खाता संख्या 93/74 व 100/84 दोनो खातो में प्रार्थिया के नाम 6 बीघा भूमि शेष बचना गलत लिखा गया है। जो प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी की आधी-आधी है। न्यायालय उपजिलाधीश महोदय श्रीकरणपुर के निर्णय मय डिक्री दिनांक 20.04.2016 के अनुसार 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी 1 की बहिस्सा बराबर है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अकंन सही दर्ज किया गया है। उसी के अनुसार तथाकथित बैयनामा दिनांक 30.05.2019 सही है। मुझ अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थिया के हिस्सा की भूमि का बेचान करना गलत लिखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन न्यायालय के निर्णय की डिक्री के आधार पर सही दर्ज किया गया है। प्रार्थिया न्यायालय की डिक्री से बाहर जाकर कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। तथाकथित बैयनामा कानूनन सही है। मुझ प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार यह कथन गलत है कि पटवारी हल्का द्वारा रविन्द्र कुमारी का हिस्सा कम करके अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा ज्यादा कर दिया हो। सही तथ्य यह है मिक अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 111/93 के मु.न. 45 के किला न. 16 आधा, 20 ता 24 सालम-सालम, किला नम्बर 25 के 0.240 हैक्टर कुल 1.631 हैक्टर नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 0.815 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी उपर्युक्त भूमि को बेचने का प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के समक्ष रखा, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने स्वीकार कर लिया और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी 0.815 हैक्टर आराजी हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को 16 लाख रूपये में जरिए बैयनामा दिनांक 30.05.2019 को बेचान कर कब्जा सौप दिया। बैयनामा की रूह से उपर्युक्त बेचान भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हो चुका है। हम

Signature
Digitally sig
Date: 2020
Reason: Se

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अप्रार्थीगण उपर्युक्त आराजी के सदभावी खरीददार है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त भूमि की तमाम कीमत अप्रार्थी संख्या 1 को अदा की हुई है। इसलिए खरीददार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में उपर्युक्त बैयनामा दिनांक 30.05.2019 को प्रार्थिया के हितों पर निष्प्रभावी एंव शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है और रजिस्टर्ड दस्तावेजात का शून्य घोषित करवाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, सिविल न्यायालय को है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने पत्रावली एंव उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एंव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करना आवश्यक समझते है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

वादिया/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आरजी चक 13 ओ, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 111/93 सम्वत 2072 ता 75 के मुरब्बा नम्बर 45 की आराजी 5.553 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों का 2.776 हैक्टर बहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार चक 13 ओ के खाता संख्या 100/84 सम्वत 2072 ता 75 के मु.न. 45 के किला न. 5 एवं 6 की कुल 0.506 हैक्टर भूमि का रूपान्तरण ईंट भट्टा से हटाकर पुनः खातेदारी कृषि भूमि जरिए नामांतरण संख्या 920 प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. श्री अमरनाथ तथा चाचा स्व. राजेन्द्र कुमार पिसरान हंसराज के नाम से बतौर खातेदार दर्ज हुआ है। प्रार्थिया के पिता के देहांत उपरांत 0.506 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई। इस प्रकार मु.न. 45 में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कुल 3.029 हैक्टर भूमि दर्ज हुई। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 111/93 के मु.न. 45 में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.776 हैक्टर भूमि बहिब दर्ज है। उक्त के संबध में अधिवक्ता प्रार्थिया के द्वारा दौराने बहस, दस्तावेजात के आधार पर यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की 1.338 हैक्टर भूमि नामान्तरण संख्या 920 दिनांक 14.09.2015 द्वारा संजय कुमार पुत्र अमर सिंह को जरिए बैयनामा बेचान कर दी। उक्त के संबध अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस एवं जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि संजय कुमार को बेचान प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों द्वारा किया गया। उक्त के संबध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि इस बिन्दु का निर्णय, साक्ष्य का विषय है जो कि मूलवाद में निर्णीत होगा।

इसी प्रकार प्रार्थिया द्वारा कथन किया गया है कि उक्त मुरब्बा नम्बर 45 की आराजी शामलाती/ मुश्तर्का खाता में थी, तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना बेचान कर दिया, इसलिए सहखातेदारों/ पक्षकारों द्वारा अलग-अलग 05 वाद हाजा न्यायालय में पेश किये। वाद संख्या 30/2013, 32/2013, 90/2013, 68/2015 तथा 73/2015 आदि के विचारण के दौरान समस्त पक्षकारों के मध्य विभाजन के सहमति हुई। सहमति के आधार पर 20.04.2016 को समस्त दावों को जरिए सहमति डिक्री किया गया। उक्त डिक्री के आधार पर ना. स. 955 के द्वारा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही

Signatur
Digitally sig
Date: 2020
Reason: S

रविन्द्र कुमारी बनाम महेन्द्रपाल आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 31/2019

प्रार्थिया के कथनानुसार खाता संख्या 111/93 मु.न. 45 में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में ही अपने हक- हिस्से की सम्पूर्ण अराजी जरिये बैयनामा बेचान, कर दी गई लेकिन नामान्तरण संख्या 955 के द्वारा प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को संयुक्त रूप से बराबर के हिस्से मानकर विभाजन के अनुसार अमलदरामद किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त गलत नामातंरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जरिए बैयनामा 30.05.2019 को बेचान कर दी गई। जबकि अप्रार्थी संख्या 1, पूर्व में ही सम्पुर्ण हिस्सा संजयकुमार को बेचान कर चुका है। उपर्युक्त कथन पर हमारा यह विनम्र अभिमत है। कि किस खातेदार का कितना हिस्सा था तथा उसने एक बार अपना हिस्सा बेचान करने के पश्चात पुनः बेचान कर दिया है। यह विषय साक्ष्य का है जो कि मूलवाद में निर्णीत होगा।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राजीनामा के आधार पर पुरानी डिक्रीं जारी हो चुकी है। अतः उसी न्यायालय में घोषणा का वाद पुनः संस्थित नहीं किया जा सकता, पुरानी डिक्री की अपील करनी चाहिए। उक्त के संबध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि उक्त कथन का निस्तारण मूलवाद में निहित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनना सिद्व होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपुर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादिया /प्रार्थिया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूकिं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया/वादिया के पक्ष में साबित हो चुका है।

हमने प्रथम दृष्टया मामला में बिन्दूवार विवेचन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष मं साबित होता है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत शपथ पत्रों/दस्तावेजो तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होतो है।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः-</u>** उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थिया के पक्ष में बखूनी साबित हुए है। चूकिं प्रार्थिया/वादिया ने वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन/ खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में वादिया/प्रार्थिया को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादिया/प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादिया /प्रार्थिया के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हक विधि संगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थायी व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का पारित किया जाता है कि वे चक 13 ओ, पटवारा हल्का तेजेवाला(10ओ) तहसील श्रीकरणपुर जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता सख्या 128/111 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुल किला 7 रकबा 1.758 हैक्टर नहरी भूमि के [illegible] सला वाद परिवर्तन न करे, एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य कि[illegible]से हस्तातंरण करे। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.12.23 16:14:20 IST
Reason: SelfAttested

इसी स्तर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 18/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.12.23 16:14:20 IST
Reason: SelfAttested